सस्ती लागत, अधिक उत्पादन, और आय में वृद्धि, उत्तर प्रदेश, बिहार के कारीगरों के जीवन में आ रही समृद्धि। —— पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

चुनौतियों का उचित समाधान निकालने में विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका। —— एम वेंकैया नायडू,उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार ● 22 जुलाई ● 2021 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

## संक्षिप्त खबर

### 'श्रेष्ठतम सेवाव्रती व श्रेष्ठ संगठक थे मांगेराम गर्ग '

**नई दिल्ली।** पूर्व प्रदेश भाजपाध्यक्ष स्वर्गीय मांगेराम गर्ग की दूसरी पुण्यतिथि पर बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केशवपुरम जिला भाजपाध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने कहा कि बाबूजी मांगेराम गर्ग श्रेष्ठतम सेवाव्रती के साथ श्रेष्ठ संगठक भी थे। बाल काल में समालखा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाना हो या फिर युवा अवस्था में बिनोबा भावे के सानिध्य में स्वालंबन आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में कार्य करते हुए घरों से शौच साफ करना, प्रौढ़ावस्था में समाज व राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए सैकड़ों संस्थाओं का सृजन समाज हित में सदैव समर्पित रहने का भाव जीवंत उदाहरण है। उन्होंने एक स्लोगन दिया कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है। तीर्थों का विकास भारत का विकास। कार्यक्रम के पश्चात भाजपा नेता सतीश गर्ग ने सभी का हार्दिक आभार प्रकट किया।

कोरोना के नियमों की सख्ती के चलते बुधवार को ईद उल अजहा के मौके पर जामा मस्जिद के बाहर तैनात सुरक्षा बल। फोटो : एसएनबी

# केंद्र की गलत नीतियों से हजारों ने गंवाई जान : सिसोदिया

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार का यह कहना सही नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण देश में हजारों लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाए केंद्र सरकार झूठ बोलकर अपना पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन की कमी से होने वाले मौतों की पुष्टि करने वाली कमेटी को खारिज कर दिया। क्योंकि केंद्र सरकार को डर है कि ये कमेटी उनके कुप्रबंधन व झूठ को जनता के सामने ले आएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से त्राहि-त्राहि मची हुई थी। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। ये सब केंद्र सरकार के फेल हो चुके मैनेजमेंट

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जिम्मेदारी लेने के बजाए मौतों को झुठला रही केंद्र सरकार

जब तक सभी को टीका नहीं लग जाता, तब तक स्कूलों को खोलना संभव नहीं : सत्येंद्र जैन

सिस्टम का नतीजा था, लेकिन संसद में केंद्र सरकार ने झूठ बोलते हुए कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बंद कमरे में बैठ कर बिना किसी योजना के 13 अप्रैल 2021 को जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नीतियां बनाई इसके कारण ही पूरे देश में ऑक्सीजन संकट उत्पन्न हो गया। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी रही। मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में रोज सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर जिम्मेदारी लेने के बजाय झूठ बोलना शुरू कर दिया है।

उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब तक सभी को कोरोना का टीका नहीं लग जाता, तब तक स्कूलों को खोलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने न आए, इसलिए केंद्र सरकार ने एलजी द्वारा दिल्ली सरकार की बनाई गई समिति को भंग करवाई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से कई मौतें हुई है।

## बैटरी रिक्शा चालकों को सुविधाएं देने की मांग

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी की सड़कों पर ई-ऑटो उतारने की घोषणा पर बैटरी रिक्शा संघ ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बैटरी रिक्शा संघ के चेयरमैन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता जयभगवान गोयल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर 4000 ई- ऑटो उतारने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है , जबकि गरीब बैटरी रिक्शा चालकों को दिल्ली की 236 सड़कों पर प्रतिबंधित कर रखा है।

**बैटरी रिक्शा संघ के चेयरमैन ने की रिक्शा चालकों का चालान रोकने की मांग**

प्रदूषण के नाम पर ई-ऑटो चलाने की घोषणा हास्यास्पद है, पहले से ही मौजूद बैटरी रिक्शा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गोयल ने स्पेशल पुलिस आयुक्त यातायात मुक्तेश चंद से भेंट कर मांग की कि कोरोना के कारण पहले से ही भुखमरी का शिकार गरीब बैटरी रिक्शा वालों का चालान असंवेदनशीलता की इंतहा है, इस पर रोक लगाई जाए।

गोयल ने प्रतिबंधित सड़कों पर बैटरी रिक्शा को तत्काल बहाल करने, बैटरी रिक्शा चालकों को ऑटो रिक्शा चालकों की तरह ईएसआई की सुविधा प्रदान करने तथा सभी मेट्रो स्टेशनों और मुख्य चौराहों पर बैटरी रिक्शा स्टैंड व चार्जिंग सेंटर स्थापित करने की मांग पर ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में दलाली एवं भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक नहीं लगने पर बैटरी रिक्शा संघ सीधी कार्रवाई को विवश होगा।

## वादाखिलाफी करने पर पांच लाख का हर्जाना

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** वादाखिलाफी करने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगा दिया। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने इस मामले में प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर 29 जुलाई को पेश होने को कहा है।

न्यायमूर्ति ने कार खरीदने वाली कंपनी से हर्जाने की राशि एक हफ्ते के भीतर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकार के कमेटी में जमा करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक कंपनी का है, जिसने बीएमडब्ल्यू की कार 2.84 करोड़ रुपए लोन पर खरीदा था और लगभग 5.10 लाख रु पए हर महीने 76 किस्तों में देने का वादा किया था। यह लोन दिसंबर 2015 में लिया गया था। उसके बाद कंपनी लोन चुकता करती रही। कोरोना काल में उसने कार कंपनी से आग्रह किया कि महामारी की वजह से उसके लोन का किस्त चुकाने के लिए कुछ समय और दे। कार कंपनी ने छूट नही दिया तो कार खरीदने वाली कंपनी ने मार्च किस्त देना बंद कर दिया। कार कंपनी ने उसके बाद करार को निरस्त कर कार जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। कार खरीदने वाली कंपनी उसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई और उसने गाड़ी जब्त करने पर रोक लगाने की मांग की। उसने हाईकोर्ट से कहा कि कोरोना काल में उसे बकाया अदा करने में छूट दिया जाए। वह एक हफ्ते में लोन की बकाया राशि ब्याज समेत लौटा देगा, लेकिन ऐसा न करने पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए कंपनी पर पांच लाख का हर्जाना लगा दिया।

## बुखार होने पर डेंगू और मलेरिया की कराएं जांच

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** बारिश के मौसम में कोरोना के अलावा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के होने का भी खतरा है।

ऐसे में जरूरी है की इन रोगों से बचने के लिए सभी जरूरी एहतियात बरती जाए। सफदरजंग अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डा. राकेश वर्मा के अनुसार इस समय अगर किसी को बुखार हो रहा है या किसी भी कारण से अस्वस्थ है तो उसे सिर्फ कोरोना न समझें। क्योंकि बारिश के मौसम में मच्छरजनित बीमारियों के फैलने का भी खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि डेंगू व मलेरिया का मच्छर पानी में पनपता है। इसलिए जरूरी है कि लोग घरों में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। बारिश के मौसम में लोग अपने घरों में लगे कूलर को सप्ताह में एक बार जरूर साफ करें।

## एफआईआर के बारे में जानकारी न देने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** दिल्ली दंगे के एक मामले में पुलिस के ढुलमुल रवैए पर सत्र अदालत ने नाराजगी जताई है।

कड़कड़डूमा कोर्ट के सत्र अदालत ने कहा कि उसे इस बात का दुख है कि पुलिस ने संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसने दिल्ली दंगे के दौरान हुई आगजनी को लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए की। साथ ही इस मामले का रिकार्ड मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में वापस भेज दिया। एसीएमएम की अदालत ने इस मामले में कई तथ्य सामने आने पर पुलिस से अलग प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज हो चुके होने की बात संबंधित एसीएमएम के कोर्ट को नहीं बताया गया। यह प्रथमदृष्टया पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है।

**अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह पुलिस की लापरवाही दर्शाता है**

पुलिस को यह भी पता नहीं था कि करावल नगर पुलिस स्टेशन में पहले ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी थी, जब तक याचिकाकर्ता ने मुकदमा दर्ज करने के लिए एसीएमएम की अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा जांच एजेंसी का कर्तव्य था कि वह एसीएमएम को पूरे तथ्यों से अवगत कराए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

## ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की सही जानकारी दे सरकार : चौ. अनिल

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने राज्य सभा में मोदी सरकार द्वारा दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार आक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने की सूचना दिए जाने पर आक्रोश जताया है।

संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली की जनता ने आक्सीजन के लिए दर-दर भटकती रही। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों के बाहर, ऑटो, एम्बुलेंस तथा बीच सड़कों पर मौतें हुईं। अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि दिल्ली में हुई ऑक्सीजन की कमी से मौतों की सही जानकारी दे और पीड़ित परिवारों को कम से कम पांच लाख रूपए अर्थिक सहायता प्रदान करे।

## टोक्यो ओलंपिक के लिए न चुने जाने पर शूटर नरेश गए हाईकोर्ट

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

पांच बार के पैरालंपियन शूटर रहे नरेश कुमार शर्मा ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए न चुने जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अर्जुन पुरस्कार विजेता व राजीव गांधी राज्य खेल पुरस्कार से नवाजे गए शर्मा ने कहा है कि चयन पैनल, पैराओलंपिक समिति ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने नूनतम क्वालीफाइंग स्कोर हासिल करने एवं सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद उसे नही चुना। उनके नाम को जानबूझकर और मनमाने ढंग से नजर अंदाज किया गया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह पीसीआई को निर्देश दे कि उनका नाम आर-7

याचिका पर सुनवाई आज

स्पर्धा के लिए चयनित निशानेबाजों की सूची में शामिल करे। इस याचिका पर न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष 22 जुलाई को सुनवाई होगी।

अधिवक्ता सुशांत सिंह और अमित कुमार शर्मा के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदशी नहीं थी। समिति उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण थी। याचिका में कहा गया है कि पीसीआई की चयन समिति ने मनमाने ढंग से और तथ्यों को देखे बिना दीपक को चुन लिया, जबकि वह खुद इस स्पर्धा के लिए सक्षम और योग्य हैं।

याचिका में कहा गया है कि यह चयन प्रक्रिया भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 का उल्लंघन है जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों के विवेकपूर्ण और सराहनीय चयन को अधिदेशित करती है।

याचिकाकर्ता ने कहा यदि कोर्ट उनके टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के अवसर को रोकने संबंधी ''मनमाने, भेदभावपूर्ण और सनकी चयन'' मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करती है तो देश ख्याति प्राप्त करने का अवसर खो देगा।

## आईआईएमसी में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में आठ पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आयोजित इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 09 अगस्त है। प्रवेश परीक्षा 29 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम 10 सितम्बर को घोषित किया जाएगा।

**9 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, 29 को होगी प्रवेश परीक्षा**

**हर पाठ्यक्रम के लिए करना होगा अलग शुल्क का भुगतान**

प्रवेश प्रभारी प्रो. राजेश कुमार ने बताया कि आईआईएमसी के 6 परिसरों में संचालित होने वाले 8 पाठ्यक्रमों की 476 सीटों के लिए इस वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परिसर नई दिल्ली, ढेंकनाल, आइजोल, अमरावती, कोट्टायम और जम्मू में है। आईआईएमसी हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, रेडियो एवं टेलीविजन, ओड़िया, मराठी, मलयालम और उर्दू पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। प्रो. कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जाएगा। देश के 25 शहरों में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए भी आवेदन कर सकते है। इसके लिए उन्हें एक ही आवेदन पत्र भरना होगा, लेकिन उन्हें आवेदन पत्र में क्रमानुसार अपनी पाठ्यक्रम वरीयता का उल्लेख करना होगा और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग शुल्क का भुगतान करना होगा।


JUBILANT FOODWORKS

**JUBILANT FOODWORKS LIMITED**

CIN NO. L74899UP1995PLC043677
Regd. Office: Plot No. 1A, Sector – 16A, Noida – 201301 (U.P.)
Corporate Office: 5th Floor, Tower D, Plot No. 5, Logix Techno Park, Sector-127, Noida – 201304 (U.P.)
Contact No: +91-120-4090500, Fax No: +91-120-4090599, E-mail: investor@jubilfood.com
Website: www.jubilantfoodworks.com

**STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021**

(Figures-INR in Lakhs, Unless Otherwise Stated)

| Sr. No. | PARTICULARS | STANDALONE RESULTS | | | | CONSOLIDATED RESULTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | For the Quarter ended | | | For the Year ended | For the Quarter ended | | | For the year ended |
| | | 30th June 2021 | 31st March 2021 | 30th June 2020 | 31st March 2021 | 30th June 2021 | 31st March 2021 | 30th June 2020 | 31st March 2021 |
| | | Unaudited | Refer Note 3 | Unaudited | Audited | Unaudited | Refer Note 3 | Unaudited | Audited |
| 1 | Total Income from Operations (net) | 87,899.12 | 102,585.84 | 38,028.17 | 326,887.27 | 89,318.83 | 103,785.63 | 38,841.01 | 331,187.13 |
| 2 | Net Profit/ (loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) | 8,873.12 | 13,732.32 | (9,593.13) | 30,910.45 | 9,540.17 | 13,807.47 | (9,769.70) | 30,617.41 |
| 3 | Net Profit/ (loss) for the period/year before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | 8,314.68 | 13,732.32 | (9,593.13) | 30,910.45 | 8,981.73 | 13,807.47 | (9,769.70) | 30,617.41 |
| 4 | Net Profit/ (loss) for the period/ year after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) (Refer Note 5) | 6,255.34 | 10,429.89 | (7,262.81) | 23,368.64 | 6,906.27 | 10,530.42 | (7,447.91) | 23,052.17 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period/ year [comprising Profit for the period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax] | 18,741.76 | 18,466.41 | (7,663.69) | 31,174.47 | 19,194.08 | 18,258.84 | (7,786.08) | 30,522.24 |
| 6 | Equity Share Capital | 13,196.90 | 13,196.90 | 13,196.90 | 13,196.90 | 13,196.90 | 13,196.90 | 13,196.90 | 13,196.90 |
| 7 | Reserves excluding Revaluation Reserve as at Balance Sheet date | | | | 136,516.16 | | | | 129,485.78 |
| 8 | Earnings per share (after exceptional items) (of INR.10/- each) | | | | | | | | |
| | a) Basic (in INR.) | 4.74 | 7.90 | (5.50) | 17.71 | 5.27 | 7.99 | (5.60) | 17.55 |
| | b) Diluted (in INR.) | 4.74 | 7.90 | (5.50) | 17.71 | 5.27 | 7.99 | (5.60) | 17.55 |

**Notes:**

1. These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as laid down in the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above unaudited standalone and consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 21st July 2021. The statutory auditor's report on review of quarterly unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30th June 2021 is being filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
2. The Company's business activity falls within a single business segment i.e. Food and Beverages in terms of Ind AS 108 on Segment Reporting.
3. The figures for the quarter ended 31st March, 2021 in the previous financial year, as reported in these unaudited financial results, are the balancing figures between audited figures in respect of the full previous financial year and the published year to date figures upto the end of third quarter of the previous financial year. Also, the figures upto the end of the third quarter of the previous financial year had only been reviewed and not subjected to audit.
4. The COVID- 19 situation across the country affected the normal dine-in operations of the restaurants resulting in lower sales. However the Company has taken various measures to protect profit margins. The Company has made detailed assessments of its liquidity position for the next one year and of the recoverability and carrying values of all its assets and liabilities as at 30th June 2021 and on the basis of evaluation based on the current estimates has concluded that no material adjustment is required in the financial results.
   Given the uncertainties associated with nature, condition and duration of COVID- 19, the impact assessment on the Company's financial statements will be continuously made and provided for as required.
5. Exceptional items during the quarter includes costs of INR 558.44 lakhs incurred by the Company to support its employees, associates and their dependents during Covid 19 pandemic. These includes assistance to families of deceased employees and associates, vaccination of employees, associates and their dependents, quarantine facilities for Covid impacted employees and associates, etc.
6. The above is an extract of detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30th June 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.jubilantfoodworks.com).

Place: Delhi
Date: 21st July 2021

For and on behalf of the Board of Directors of
JUBILANT FOODWORKS LIMITED
Sd/-
SHYAM S. BHARTIA
CHAIRMAN & DIRECTOR
DIN No. 00010484


## डीयू दाखिले की पहली कट ऑफ 10 सितम्बर को होगी जारी

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 के स्नातक कोर्सेज की दाखिले की पहली कट ऑफ 10 सितम्बर से जारी करने की तैयारी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 10 सितम्बर से ही डीयू कॉलेजों में दाखिले की शुरु आत हो जाएगी। डीयू के दाखिले समिति के चेयरपर्सन प्रो. राजीव गुप्ता ने बताया कि स्नातक कोर्सेज में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हम 10 सितम्बर से कट ऑफ लिस्ट जारी करने का विचार कर रहे है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी तारीख से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

**विवि शुरुआत में जारी करेगी पांच कट ऑफ लिस्ट**

**कॉलेजों में दाखिले के लिए मिलेंगे तीन दिन**

**हर कट ऑफ पांच दिनों के अंतराल पर जारी होगा**

**आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त को खत्म होने के 9 दिन बाद जारी होगी अंतिम कट ऑफ लिस्ट**

बता दें कि अभी तक डीयू ने अपनी दाखिले के ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित की है। डीयू में स्नातक कोर्सेज में आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो रही है। स्नातक कोर्सेज में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। प्रो. गुप्ता ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम आवेदन के आंकड़ों का हिसाब किताब करेंगे। इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि 10 सितंबर से पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाए।

इस लिस्ट के आधार पर छात्रों को दाखिले के लिए तीन दिन मिलेंगे। इसके अगले दो दिन भी दाखिले की प्रक्रिया से जुड़े काम होंगे। इसके बाद दूसरी ओर आगे की कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। प्रो. गुप्ता ने बताया कि डीयू बीते साल की तरह इस साल भी पांच कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। प्रत्येक कट ऑफ लिस्ट पांच दिन के अंतराल के बाद जारी किए जाएंगे। हालंकि बीच में यदि कोई छुट्टी होगी तो एक दिन देर से भी कट ऑफ जारी हो सकता है। बता दें कि डीयू के दाखिले कट ऑफ लिस्ट जारी होने के साथ कॉलेजों में दाखिले शुरू हो जाते है। डीयू में इस साल भी ज्यादातर स्नातक कोर्सेज में कटऑफ मार्क्स के आधार पर दाखिले होंगे। प्रो. गुप्ता ने बताया कि मेरिट आधारित कोर्सेज में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए आवेदन का पंजीकरण शुल्क 250 रुपए ही रखा गया है। इसी प्रकार एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कोटे के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 100 रु पए रखा गया है। प्रो. गुप्ता ने बताया इस साल आवेदन शुल्क में किसी तरह की बढ़ोतरी नही की है। बीते साल की तरह ही इस साल भी आवेदन प्रक्रिया और दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बीते साल डीयू में दाखिले के लिए करीब 3 लाख 75 हजार छात्रों ने आवेदन किया था। डीयू में स्नातक स्तर पर करीब 70 हजार सीटों पर दाखिले किए जाते है।